



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220133
CG-DL-E-24062020-220133

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]
No. 308]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ 2, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASADHA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

सा.का.नि. 399(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची की मद (vi) में, “युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों” शब्दों के पश्चात् “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध-सैनिक बल (सीपीएमएफ) सेवानिवृत्त सैनिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 13/18/2019-सीएसआर]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: अनुसूची-VII तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई थी और उसे (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ) तारीख 27 फरवरी, 2014, शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 261(अ) तारीख 31 मार्च, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568(अ) तारीख 06 अगस्त, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) तारीख 24 अक्टूबर, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) तारीख 30 मई, 2019, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2019 और शुद्धिपत्र संख्या सा.का.नि. 859(अ) तारीख 19 नवंबर, 2019 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) दिनांक 26 मई, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd, June 2020

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule VII to the said Act, namely:—

In the said Schedule, in item (vi), after the words “war widows and their dependents”, the words “Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 13/18/2019-CSR]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Schedule VII was brought into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (effective from the 1st April, 2014) vide notification number G.S.R. 130(E), dated the 27th February, 2014, Corrigenda number G.S.R. 261(E), dated the 31st March, 2014, notification number G.S.R. 568(E), dated the 6th August, 2014, notification number G.S.R. 741(E), dated the 24th October, 2014, notification number G.S.R. 390(E), dated the 30th May, 2019, notification number G.S.R. 776(E), dated the 11th October, 2019, Corrigenda number GSR 859(E), dated the 19th November, 2019 and notification number G.S.R. 313(E) dated 26th May, 2020.